

10/12/24

पत्रावली पेश हुई।  
जिला अधिकारी महोदय मुख्यालय  
में बाहर हैं। अतः इत्यादि होकर पत्रावली  
भा.सं. 3/01/25 को पेश हो।

5-1-25  
11-1-25

03.01.25

पत्रावली पेश हुई। वादीनी मम अधिवक्ता अनुपस्थित।  
उनाज न्यायालय समय में वादीनी मम वकील को  
रुक-रुक कर तीन बार भावाज दिलवाये जाने  
के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए। इससे यह  
प्रतीत होता है कि वादीनी मम अधिवक्ता इस  
वाद में कोई रकचि नहीं रखना चाहते हैं।

अतः 0-3-R-2,3 CPC के तहत  
वाद के अदम हाजरी रूपें अदम पेशी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसलें सुमाए होकर वास्तिक  
दफ्तर है। पत्रावली दर्ज करणों से कम है।

सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

